राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1581 / 2010 / चित्तौड़.

मैसर्स आदित्य सीमेंट वर्क्स (ए यूनिट ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट लिमि.)
(पूर्व नाम : ए यूनिट ऑफ ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एण्ड
समृद्धि सीमेंट लिमिटेड), शम्भूपुरा जिला चित्तौड़गढ़. ....अपीलार्थी.

बनाम

1. सहायक आयुक्त, विशेष वृत, भीलवाड़ा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18 / 09 / 2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 13 / वेट / 2010–11 में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.07.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, विशेष वृत, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 25.05.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कम्पनी की सीमेंट यूनिट–द्वितीय के नाम से एक नई इकाई की स्थापना वर्ष 2006–07 से किया जाना प्रारम्भ किया गया था एवं वर्ष 2008–09 तक युनिट की स्थापना के दौरान प्लांट एण्ड मशीनरी के निर्माण में की गई विभिन्न वस्तुओं की खरीद को केपिटल गुड्स की खरीद दर्शाते हुए उस पर चुकाये गये कर का आई.टी.सी. क्लेम वर्ष 2006–07, 2007–08 एवं 2008–09 में लिया गया था परन्तु उक्त समस्त क्लेम को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एक सकल आदेश दिनांक 25.05.2010 को अधिनियम की धारा 2(7), (18)(1)(जी), 22, 25 एवं 61(2) के तहत आदेश पारित कर सीमेंट यूनिट के कार्य में आने वाली कुल 22 तरह की निर्मित मशीनों के निर्माण में प्रयुक्त माल का प्लांट एण्ड मशीनरी का पार्ट नहीं मानकर इन्हें केपिटल गुड्स नहीं मानते हुए उन पर क्लेम की गयी आई.टी.सी. रूपये 8.98 करोड़ के समायोजन को निरस्त कर उतनी राशि की मांग सृजित की गई साथ ही आई.टी.सी. की उक्त क्रेडिट का समायोजन लिये जाने को

लगातार................2

करापवंचन मानकर उस पर आई.टी.सी. राशि की दुगुनी राशि की शास्ति भी आरोपित की गयी एवं अनुवर्ती ब्याज भी आरोपित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की जाने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के प्लांट एण्ड मशीनरी के निर्माण हेतु प्रयुक्त माल को केपिटल गुड्स नहीं मानने के कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई साथ ही एयर कंडीशनर, बियरिंग, गैस कटर, स्टोरेज टैंक आदि पर लिये गये आगत कर को स्वीकार करने का भी आदेश दिया गया। उक्त अपीलीय आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक ने प्रकरण में प्रारम्भिक विधिक आपत्ति उठाते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रथम नोटिस जारी होने की दिनांक 26.10.2009 के छः माह पश्चात् दिनांक 25.5.2010 को आदेश पारित किया है वह अवधिपार आदेश है अतः इस आधार पर पारित आदेश अविधिक है। उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस तरह पारित अवधिपार आदेश की अपीलीय अधिकारी ने अविधिक पुष्टि की है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि अभियोग सम्बन्धी प्रथम नोटिस दिनांक 26.10.2009 को एवं दूसरा नोटिस दिनांक 30.10.2009 को जारी किया गया था, जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम नोटिस दिनांक 09.02.2010 को दिया जाना बताया गया एवं पूर्व में दिये गये नोटिस केवल सूचना प्राप्ति हेतु नोटिस दिया जाना बताया गया जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी की एक वृहद सीमेंट यूनिट को स्थापित करने का कार्य वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ किया गया था एवं युनिट की सम्पूर्ण प्लांट एण्ड मशीनरी स्थापित होने के बाद प्रथम उत्पादन दिनांक 30.03.2009 से प्रारम्भ हुआ अतः वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में प्लांट एण्ड मशीनरी, जो कि निर्माण कार्य हेतु स्थापित की गयी थी, उससे सम्बन्धित आई.टी.सी. का क्लेम उन वर्षों के विवरण–पत्रों में आगे के वर्षों के लिये अग्रेषित किया गया एवं वर्ष 2009–10 के विक्रय के आउटपुट टैक्स के विरूद्ध उसका समायोजन लिया गया था। उन्होंने कथन किया कि सीमेंट यूनिट की स्थापना हेतु समस्त प्लांट एण्ड मशीनरी का निर्माण साईट पर ही किया जाता है एवं उसके लिये विभिन्न तरह के पार्ट्स की खरीद की जाकर उसका उपयोग साईट पर ही किया जाता है। उन्होंने कथन किया कि इस तरह सीमेंट कम्पनी की युनिट की स्थापना के लिये विभिन्न तरह की मशीनरी जैसे लाईम

स्टोन क्रेशर, रिक्लेमर स्टेकर्स व रिक्लेमर्स, रॉ मिल, रॉ मिल बैग हाउस, रॉ मिल डक्टिंग्स, रॉ मिल साईक्लोन्स, क्लिन प्रीहीटर, कूलर, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रीसिपिटेटर (ई.एस.पी.), चिमनी, क्लिंकर सिलो, डीप पेन कन्वेयर्स (डी.पी.सी), कोल मिल, कोल मिल डक्टिंग्स, सीमेंट मिल्स, सीमेंट मिल्स डक्टिंग्स, सीमेंट मिल बैग हाउस, बकेट एलिवेटर, पैकिंग प्लांट, ट्रक लोडिंग व वेगन लोडिंग बेल्ट कन्वेयर्स आदि निर्मित की गयी। विद्वान अभिभाषक ने उक्त समस्त मशीनरी के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि यह समस्त मशीनरीज सीमेंट कार्य में उत्पादन कार्य के लिये स्थापित की गयी हैं एवं नियमित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2007—08 के लिये दिनांक 30.07.2009 को कर निर्धारण आदेश पारित कर उनके द्वारा वर्ष 2007—08 के दौरान स्थापित मशीनरी एवं केपिटल गुड्स की आई.टी.सी. क्रेडिट रूपये 6,64,00,000/— स्वीकृत कर दी गयी थी एवं उसे आगे के वर्षों में समायोजित करने का आदेश किया गया था एवं यह स्पष्ट वर्णित किया गया था कि व्यवसायी का प्लांट शुरू होने के बाद इस राशि का समायोजन दिया जायेगा। इस तरह प्रथम कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 30.07.2009 को पारित आदेश में उनके द्वारा खरीद किये गये प्लांट एण्ड मशीनरी के लिये आवश्यक प्रत्येक वस्तु की खरीद पर क्लेम की गई आई.टी.सी. को स्वीकार किया हुआ था। उन्होंने कथन किया कि कम्पनी द्वारा वर्ष 2006—07 से 2008—09 के दौरान खरीदे गये माल पर क्लेम की गयी आई.टी.सी. को पुनः पश्चातवर्ती कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जाना विधि के विरूद्ध है क्योंकि उन क्लेम्स को वर्ष 2007—08 एवं 2008—09 में विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे उन्हीं वर्षों के कर निर्धारण आदेशों में रिवर्स किया जा सकता था जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एक अलग स्वतंत्र आदेश के जरिये तीन वर्षों के क्लेम को एक ही आदेश में रिवर्स किया गया है वह भी विधि के विरूद्ध है।

6. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कम्पनी की युनिट की उक्त मशीनरी को केपिटल गुड्स के रूप में अस्वीकृत करने का कोई कारण अंकित नहीं किया गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा खरीदे गये माल का उपयोग मशीनरीज को स्थापित करने में किया जाना दर्शाते हुए सम्पूर्ण विवरण दिया गया था एवं जो समस्त सामग्री का उपयोग प्लांट एण्ड मशीनरी के पार्ट के रूप में होना प्रमाणित करता है क्योंकि कम्पनी द्वारा खरीदे गये आयरन स्टील एवं अन्य सभी तरह के आईटम प्लांट एण्ड मशीनरी के पार्ट एण्ड एसेसरीज के रूप में ही प्रयुक्त किये गये हैं।

लगातार................4

7. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कम्पनी द्वारा आई.टी.सी. क्लेम का समायोजन दो किश्तों में ही किया जा सकता था अतः क्लेम की गई आई.टी.सी. की राशि का 50 प्रतिशत क्लेम सितम्बर, 2009 में किया गया है। यह भी उल्लेखनीय बताया कि वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा वर्ष 2007—08 के लिये पारित आदेश दिनांक 30.7.2009 में 31.3.2008 तक खरीदे गये माल पर क्लेम की गई आई.टी.सी. 6.64 करोड़ को स्वीकार करने का आदेश दिया गया है।

8. विद्वान अभिभाषक ने अधिनियम की धारा 2(7) का उद्धरण करते हुए प्लांट एण्ड मशीनरी तथा उसके पार्ट एवं एसेसरीज, जो कि निर्माण कार्य के उपयोग में आती है, उन्हें केपिटल गुड्स होने का कथन किया। विद्वान अभिभाषक ने प्लांट एण्ड मशीनरी के डिक्शनरी में दिये गये अर्थों को भी अंकित करते हुए कथन किया कि सभी तरह के इक्यूपमेंट, जिसमें बिल्डिंग भी सम्मिलित होती है जो किसी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट को चलाने के लिये कार्य में आती है वह केपिटल गुड्स में सम्मिलित होती है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि in the manufacture of goods का सीधा अर्थ यह है कि वे सभी तरह की मशीनें जो कच्चे माल को फिनिश्ड गुड्स के रूप में परिवर्तित करने के लिये कार्य में आती है एवं जो अन्तिम उत्पाद प्राप्त करने के लिये अनिवार्य होती है वे मशीनें एवं पार्ट्स निर्माण कार्य के लिये प्रयुक्त होने के लिये माने जाने योग्य है।

9. विद्वान अभिभाषक ने माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय **कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स बनाम भारत रेडियेटर्स लिमिटेड 239 आई.टी.आर. 608** का हवाला देते हुए उसमें "प्लांट एण्ड मशीनरी" की की गई व्याख्या का उल्लेख करते हुए कथन किया कि वे सभी तरह के आर्टिकल या ऑब्जेक्ट प्लान्ट में सम्मिलित योग्य होते हैं, जो किसी व्यवसाय को चलाने के लिये आवश्यक होते हैं। इसी तरह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के **वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अजमेर बनाम श्री सीमेंट अजमेर 9 वेट रिपोर्टर 70** का हवाला देते हुए कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्टील को प्लांट एण्ड मशीनरी एवं पार्ट एवं एसेसरीज में सम्मिलित होना अभिनिर्धारित किया गया था। इसी तरह अन्य विभिन्न न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए उनके द्वार प्रयुक्त की गई आयरन स्टील एवं अन्य तरह की सामग्री जो कि मशीनरी के निर्माण में प्रयुक्त की गयी है वह केपिटल गुड्स होना अवधारित किया जाना बताया गया।

लगातार................5

10. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **आयुक्त, सेन्ट्रल एक्साईज बनाम आर.एस.डब्ल्यू.एम. लिमिटेड 255 ई.एल.टी. 481** का हवाला देते हुए कथन किया कि स्टील प्लेट, एम.एस. चैनल जो कि डीजल जनरेटिंग सेट के लिये आवश्यक चिमनी के फेब्रिकेशन हेतु उपयोग में लिये गये हैं, उन्हें माननीय न्यायालय द्वारा केपिटल गुड्स माना गया है।

11. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा किये गये समस्त खरीद विक्रय को लेखा–पुस्तकों में एवं विवरण–पत्रों में दर्शाने के बावजूद भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित की है जो विधि के विरूद्ध है अतः उसे अपास्त करने का भी अनुरोध किया एवं अपने कथन के समर्थन में विभिन्न न्यायिक निर्णयों के दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये।

12. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया।

13. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

14. अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक की इस प्राथमिक आपत्ति पर गौर किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 25 के तहत पारित आदेश, प्रथम नोटिस जारी करने के पश्चात् छः माह की अवधि में पारित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में रेकॉर्ड का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि कर निर्धारण पत्रावली के आदेश पत्र में प्रथम नोटिस दिनांक 26.10.2009 को समस्त सूचनायें प्रस्तुत करने के लिये जारी किया गया था जिसमें दिनांक 30.10.2009 को उपस्थित होने के लिये निर्देश दिये गये थे। उसके क्रम में दिनांक 30.10.2009 को अपीलार्थी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया तथा उस जवाब को अस्वीकृत कर दिनांक 30.10.2009 के आदेश पत्र के विवरण में अपीलार्थी द्वारा केपिटल गुड्स पर आई.टी.सी. क्लेम को प्राप्त किया जाना विधिविरूद्ध मानते हुए इसे करापवंचन का अभियोग मानते हुए दिनांक 30.10.2009 को ही अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रथम नोटिस जारी किया गया जो पत्रावली पर उपलब्ध है तथा आदेश पत्र में भी पत्रावली दिनांक 24.11.2009 को प्रस्तुत करने का अंकन किया गया है। उसके पश्चात् दिनांक 24.11.2009 को एवं आगामी समय में प्रत्येक बार दी गयी पेशी पर अपीलार्थी की ओर से उपस्थिति दी गयी जो आदेश पत्र में दिये गये विवरण से प्रमाणित है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त विवादित आदेश दिनांक 25.5.2010 को पारित किया गया है जो प्रमाणित रूप से अभियोग के लिये

लगातार................6

प्रथम जारी नोटिस दिनांक 30.10.2009 से छः माह पश्चात् अर्थात् निर्धारित अवधि दिनांक 30.4.2010 (छः माह) के बाद पारित किया गया है वह अवधिपार आदेश है।

15. प्रकरण में अपीलार्थी की सीमेंट यूनिट के लिये तैयार की गयी समस्त मशीनरी एवं प्लान्ट को केपिटल गुड्स नहीं माने जाने के कर निर्धारण अधिकारी के निर्णय के गुणावगुण पर विचार किया गया। कर निर्धारण आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी की यह धारणा है कि प्लांट एण्ड मशीनरी के साईट पर निर्माण के लिये जो आयरन स्टील एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वे वस्तुएं स्वयं प्लांट एण्ड मशीनरी नहीं हैं, अतः इन वस्तुओं की खरीद पर आई.टी.सी. का क्लेम केपिटल गुड्स के रूप में देय नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी के इस निर्णय का अभिप्राय यह है कि केपिटल गुड्स केवल उन प्लांट एण्ड मशीनरी को ही माना जा सकता है जो कोई व्यवसायी उसका निर्माण किसी अन्य व्यक्ति से करवाकर उसका बिल प्राप्त करे तब वह प्लांट एण्ड मशीनरी मानी जायेगी एवं यदि किसी उद्योग के लिये जो मशीनरी साईट पर ही बनाई जाती है उस मशीनरी को बनाने के लिये प्रयुक्त सामान को केपिटल गुड्स की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इस अवधारणा को और आगे ले जाते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने यह भी माना है कि प्लांट एण्ड मशीनरी को बनाने के लिये जो आयरन एवं स्टील प्रयुक्त किया है वह मशीनरी के पार्ट एवं एसेसरीज नहीं है। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सीमेंट यूनिट के लिये बनाई गई समस्त मशीनरी जिसका हवाला स्वयं कर निर्धारण आदेश में निम्न प्रकार दिया गया है उसकी स्थापना के लिये प्रयुक्त सामग्री को उसका पार्ट नहीं माना गया है :—

1. Crusher
2. Belt Conveyors
3. Stackers & Reclaimers
4. Raw Mill (2 no)
5. Raw Mill Bag House
6. Raw Mill Ductings
7. Raw Mill Cyclones
8. Kiln
9.Preheater
10. Cooler
11. Electiostatic Precipitator (ESP)
12. Chimney
13. Clinker Silo
14.Deep pan Conveyors(DPC)
15. Coal Mill
16. Coal Mill Ductings
17. Cement Mills (2no)
18. Cement Mill Ducting
19. Cement Mill Bag House
20. Bucket Elevator
21. Packing Plant
22.Truck Loading & Wagon Belt Conveyors

16. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश के पृष्ठ संख्या 4 पर यह टिप्पणी की गयी है कि व्यवसायी ने समस्त खरीद माल को use नहीं बताकर utilisation होना बताया है, वह गलत है। अपीलार्थी की ओर से कर निर्धारण

अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के दृष्टान्तों का कर निर्धारण में उद्धरित करने के पश्चात् केवल यह टिप्पणी की है कि दिये गये निर्णय इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त तथ्यों एवं माननीय न्यायिक निर्णयों को अप्रासांगिक बताते हुए आई.टी.सी. क्लेम को अस्वीकार किया है।

17. प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध केपिटल गुड्स सम्बन्धी बिलों के विवरण एवं प्लांट एण्ड मशीनरी के समस्त फोटोग्राफ्स एवं उपयोगिता सम्बन्धी विवरण का अध्ययन किया गया। प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने केवलमात्र यह बिन्दु विवादित किया है कि प्लांट एण्ड मशीनरी साईट पर बनाते समय जो वस्तुयें काम में ली जाती हैं, उनकी खरीद पर केपिटल गुड्स के रूप में आई. टी.सी. क्लेम देय नहीं है क्योंकि वे वस्तुएं स्वयं प्लांट एण्ड मशीनरी नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी का यह निर्णय त्रुटिपूर्ण एवं अतार्किक है क्योंकि कुछ उद्योग में उसकी प्लांट एण्ड मशीनरी का निर्माण साईट पर ही हो सकता है और उन मशीनरी की रेडीमेड खरीद नहीं की जा सकती, बल्कि वे साईट पर ही निर्मित होती हैं। ऐसी स्थिति में उन मशीनों के निर्माण में प्रत्येक वस्तु उसका पार्ट होती है जिससे उसका निर्माण किया जाता है। इसी समान तरह के विवाद में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष **श्री सीमेंट लिमिटेड बनाम अतिरिक्त आयुक्त 39 टैक्स वर्ल्ड 5** के मामले में निम्न बिन्दु प्रश्नगत थे :

1. Whether the applicant company can purchase the Hot Strip Mill Plates & Mill Plates (M.S. Plates) against ST-17 forms with NIL tax under the Notification No. F.4(67)FD/Tax/2004-28 dated 12.7.2004 for setting up the new industrial unit required as a Part & Parcel of Cyclones, Ducting, Chimney, Hoppers, Crushers, Raw Mill, Kiln, Coal Mill as plant & machinery ?
2. If tax is leviable, at what rate ?

18. अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग के समक्ष यह प्रश्न था कि सीमेंट यूनिट की मशीनरी निर्माण में काम में आने वाली होट स्ट्रिप, मिल प्लेट, एम.एस.प्लेट आदि केपिटल गुड्स के रूप में सम्मिलित योग्य होंगे अथवा नहीं, तब अतिरिक्त आयुक्त द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि वे केपिटल गुड्स की परिभाषा में सम्मिलित योग्य नहीं है। इस निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में यह निम्न निर्णय किया गया –

लगातार................8

"दोनों पक्षों को सुना गया। उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। कम्पनी द्वारा नई सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना में विभिन्न प्रकार की मशीनरी के साथ—साथ सीमेंट फैक्ट्री की साईक्लोन्स, चिमनी, होपर्स, क्रेशर, रॉ—मिल, कील, कोल मिल तथा डक्टिंग की भी आवश्यकता होती है, जिसे साईट पर निर्माण किया जाता है। इन सभी कार्यों के लिए हॉट स्ट्रीप मिल प्लेट्स एण्ड प्लेट मिल प्लेट्स (एम.एस.प्लेट्स) क्रय की गई हैं। साईक्लोन्स, डक्टिंग, चिमनी, होपर आदि बाजार में तैयार शुदा उपलब्ध नहीं होती है और फैक्ट्री के साईज के अनुरूप तैयार करनी होती है। एम.एस.प्लेट्स का उपयोग प्लांट एवं मशीनरी के फेब्रीकेशन में किया जा रहा है। विद्वान अतिरिक्त आयुक्त ने अधिसूचना दिनांक 12.07.2004 में दिए गए स्पष्टीकरण में अंकित कैपीटल गुड्स का संकीर्ण विश्लेषण किया है और एम.एस.प्लेट्स को प्लांट एवं मशीनरी, इक्यूपमेंट, एपरेट्स, एसेसरी, कम्पोनेन्ट व स्पेयर्स की श्रेणी में नहीं माना है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.07.2004 में कैपीटल गुड्स के सम्बन्ध में निम्न स्पष्टीकरण दिया है :

Explanation : For the purpose of this notification capital goods shall mean-

1. all kinds of plants machinery, equipments or apparatus ;
2. components, spares and accessories of the goods specified at (i) above;
3. moulds and dies;
4. refractors and refractory materials;
5. tubes and pipes and fittings thereof, used in the factory;
6. pollution control equipments and
7. storage tanks."

माननीय सेन्ट्रल एक्साईज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली ने कमीश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज ऑफ इन्दौर बनाम हॉट लाईन ग्लास लिमिटेड (उपरोक्त) के निर्णय में यह मत व्यक्त किया है कि कैपीटल गुड्स की शब्दावली बहुत उदार (liberal) है जिसमें मशीन, प्लांट मशीनरी, इक्यूपमेंट के साथ—साथ बिल्डिंग मैटेरियल स्टील स्ट्रक्चर, सी.टी.डी. बार्स, टी.ओ.आर. स्टील्स, जोइंट्स तथा सीमेंट भी कैपीटल गुड्स की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकरण में एम.एस.प्लेट्स के बिना सीमेंट फैक्ट्री के साईक्लोन्स, चिमनी, होपर, क्रेशर, कीलन तथा डक्टिंग का निर्माण नहीं किया जा सकता है और इनके बिना सीमेंट फैक्ट्री अपूर्ण है। अतः एम.एस.प्लेट्स प्लांट मशीनरी के लिए आवश्यक अंग है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.07.2004 के स्पष्टीकरण क्रम संख्या—2 में Component, spares accessories of goods specified and (1) above अंकित है इससे स्पष्ट

लगातार................9

होता है कि एम.एस.प्लेट्स से बनने वाले भाग कम्पोनेंट सम्पूर्ण मशीनरी का भाग है। Oxford illustrated and chambers 20th century शब्दकोष में कम्पोनेंट का अर्थ Forming part of a whole components part के रूप में है। इसी प्रकार स्टेण्डर्ड डिक्शनरी में कम्पोनेंट का अर्थ Constituent के रूप में हैं जिसका अर्थ Going to the making of a whole, making part of a whole जिसका हिन्दी में अर्थ अंग/अंगभूत तथा पूरा भाग निर्मित करना है।

अपीलाधीन प्रकरण में साईक्लोन्स, चिमनी, होपर, क्रेशर, रॉ—मिल, कोल मिल, कीलन तथा डक्टिंग के बिना सीमेंट फैक्ट्री अपूर्ण है और इनका निर्माण एम.एस.प्लेट्स से ही संभव है ऐसी स्थिति में हॉट स्ट्रीप मिल प्लेट एण्ड प्लेट मिल प्लेट्स (एम.एस.प्लेट्स) कैपीटल गुड्स की श्रेणी में आती है। इस संबंध में विद्वान उप—राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। विद्वान अतिरिक्त आयुक्त ने एम.एस. प्लेट्स को कैपीटल गुड्स नहीं मानकर विधिक त्रुटि की है।''

19. माननीय राजस्थान कर बोर्ड के उक्त निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि प्लांट एण्ड मशीनरी के निर्माण के कार्य में आने वाले एम.एस. प्लेट आदि समस्त तरह की वस्तुऐं केपिटल गुड्स का ही भाग है। कर बोर्ड के उक्त निर्णय को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार द्वारा चुनौती दिये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन नं0 444/2008 अतिरिक्त आयुक्त (वेट) वाणिज्यिक कर विभाग बनाम श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर** में विस्तृत निर्णय दिया गया कि सीमेंट यूनिट में साईट पर मशीनरी निर्माण हेतु उपयोग में लिये जाने वाले सामान केपिटल गुड्स की श्रेणी में ही सम्मिलित होंगे एवं राजस्थान कर बोर्ड के उपरोक्त वर्णित आदेश की पुष्टि की गयी।

20. हमारे समक्ष एवं कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष ऐसा कोई निर्णय नहीं है जो इन निर्णयों को निरस्त किये जाने सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में लाये। इस तरह कर निर्धारण अधिकारी का इस समान बिन्दु पर किये गये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय को तथ्यों पर नहीं लागू होने की टिप्पणी किया जाना भी अनुचित एवं तथ्यों के विपरीत है तथा न्यायिक निर्णयों की उपेक्षा करना दर्शाता है। केवल यह दो टूक टिप्पणी करना कि प्रस्तुत निर्णय लागू नहीं होते, उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में माननीय कर बोर्ड एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय पूर्णतया समान तथ्यों पर आधारित था। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध किसी अपील का हवाला भी नहीं है।

21. अपीलार्थी की अपील सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये विभिन्न निर्णयों का भी अध्ययन किया गया जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय **कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज जयपुर बनाम राजस्थान स्पिनिंग एवं वीविंग मिल लिमिटेड (2011) सेल्स टैक्स एडवाईज वॉल्यूम 57 पेज 21** में केपिटल गुड्स सम्बन्धी दिये गये निर्णय में भी स्पष्ट किया गया है कि Steel Plates & M.S. Channel use in the fabrication of chimney for diesel generating set are treated to be capital goods. माननीय उच्चतम न्यायालय का इस सम्बन्ध में दिये गये निर्णय का सुसंगत भाग निम्न प्रकार है :–

> "14. We are, therefore of the opinion that the Tribunal was corrrect in law in holding that the assessee was entitled to avail of MODVAT credit in respect of the subject items viz. steel plates and M.S. channels used in the fabrication of chimney for the diesel generating set, by treating these items as capital goods in terms of Rule 57Q of the Rules."

22. इसके अलावा अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि सीमेंट यूनिट में प्लांट एण्ड मशीनरी का निर्माण साईट पर ही किया जाता है एवं इस कार्य हेतु खरीद किये गये आयरन स्टील एवं अन्य स्पेयर पार्ट्स की खरीद पर केपिटल गुड्स के रूप में क्लेम राज्य में प्रत्येक युनिट को दिये गये हैं एवं किसी अन्य अधिकारी द्वारा इसे केपिटल गुड्स मानने से इन्कार नहीं किया गया है साथ ही कम्पनी ने वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के प्रथम कर निर्धारण आदेशों में उन सभी माल की खरीद पर आई.टी.सी. का क्लेम देने का आदेश किया हुआ था एवं पश्चात्वर्ती अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के सम्पूर्ण प्लांट एण्ड मशीनरी के लिये आवश्यक वस्तुओं की खरीद पर आई.टी.सी. के क्लेम को निरस्त किया जाना पूर्णतया अविधिक निर्णय था। विद्वान अभिभाषक के उक्त कथन उचित एवं विधिसम्म्त है क्योंकि किसी भी बड़े उद्योग की प्रत्येक मशीनरी को बाहर से बनाकर उसके बिल प्राप्त नहीं किये जा सकते। सीमेंट यूनिट के लिये उपरोक्त वर्णित समस्त मशीनरी का निर्माण साईट पर ही किया जाता है एवं इस निर्माण में काम में आने वाली प्रत्येक वस्तु उसके पार्ट के रूप में ही स्थापित होते है अतः उन सभी माल पर जो कि प्लांट एण्ड मशीनरी के निर्माण में काम में आते हैं, वे केपिटल गुड्स के रूप में सम्मिलित योग्य हैं।

23. फलतः तथ्यात्मक रूप से एवं माननीय न्यायिक निर्णयों के उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में भी अपीलार्थी द्वारा प्लांट एण्ड मशीनरी के निर्माण हेतु खरीदे गये समस्त माल पर आई.टी.सी. क्लेम विधिक रूप से स्वीकृत योग्य है।

लगातार.............11

24. उक्त विवेचन अनुसार एवं समान बिन्दु पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के निर्णय श्री सीमेंट लिमिटेड 39 टैक्स वर्ल्ड पेज 5 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय की पुष्टि के लिये पारित निर्णय एस.टी.आर. पीटीशन संख्या 444/2008 के आलोक में अनुकरण करते हुये निर्णीत किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा केपिटल गुड्स के रूप में क्लेम की गई आई.टी.सी. को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से निरस्त किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उस आई.टी.सी. की राशि के दिये गये समायोजन को निरस्त कर उसकी मांग सृजित कर उस राशि पर ब्याज एवं दुगुनी शास्ति भी आरोपित की गयी है, वह अविधिक होने से अपास्त की जाती है। फलतः उक्त विवादित कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.05.2010 एवं अपीलीय आदेश दिनांक 12.07.2010 को अपास्त किया जाता है।

25. परिणामस्वरूप अपीलार्थी कम्पनी की अपील स्वीकार की जाती है।

26. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य